संख्या-1315/2025/2052/22-2-2023-17(504)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री सलीम, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0बैठक-31-03-2023,दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी भूरा पुत्र श्री सलीम, ग्राम-कोला खेड़ी, थाना-तीतरो, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पैसे के लेन देन एवं भूरा की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग होने के कारण दिनांक 03-11-2011 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गोली से मारकर अश्वनी एवं कुमारी मोबिना की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-270, 271/2012, भा0द0वि0 की धारा- 302, 201 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-7 सहारनपुर, के दण्डादेश दिनांक 12.02.2014 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27-11-2014 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुये आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.10.2022 तक अपरिहार 10 वर्ष 11 माह 17 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 05 माह 02 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की 56 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता (02 हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा (बन्दी संख्या-16026) पुत्र श्री सलीम, निवासी जनपद- सहारनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1315/2025/2052(1)/22-2-2023तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।